

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासिन अधिकारी:- श्री हेमेन्द्र नागर, आरएएस  
परिवाद संख्या 27/2017  
दायर दिनांक 17.07.2017

खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

-प्रार्थी

बनाम

श्री पेमाराम पटेल उर्फ प्रेमचंद पुत्र श्री नगजी पटेल मेसर्स भवानी दूध डेयरी, राजकीय सीनियर हायर सेकेण्डरी स्कूल के पास, पारसोला तहसील धरियावद

- अप्रार्थी




:-आदेश:-

दिनांक 25/10/2017

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड दुध का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) व 26 की उपधारा 2(V) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 64 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र ,प्रार्थना पत्र मय पहचान पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.04.2017 को 3.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने मेसर्स भवानी दूध डेयरी, राजकीय सीनियर हायर सेकेण्डरी स्कूल के पास, पारसोला की दूकान पर पहुंचा। इस समय दूकान पर श्री पेमाराम उर्फ प्रेमचंद पटेल उपस्थित

1   
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़



थे तथा आमजनता को दूध व दही विक्रय हेतु रखे पाये। विक्रेता से पुछने पर उक्त संस्थान का मालिक स्वयं को होना बताया व पता पुछने पर स्थाई निवासी 104, पटेल फलाहर सड़डी, पोस्ट बनोडा तहसील सलूमबर जिला उदयपुर होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने होना जाहिर किया। खाद्यसुरक्षा अधिकारी द्वारा मालिक की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया जहा पर एक डीप फ्रीज के अन्दर एक स्टील की कोठी में लगभग 20 लीटर दूध आमजन को बिक्री वास्ते भरा हुआ था। विक्रेता से पुछने पर बताया गया कि उक्त दूध मिश्रित दूध है। इसमें मिलावट का शक होने पर गवाह के सामने मालिक को प्रपत्र 5 ए भरकर दिया गया। जिस पर खाद्यसुरक्षा अधिकारी व गवाह तथा विक्रेता के हसक्षर है। तत्पश्चात मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त स्टील की कोठी में भरे 20 लीटर दूध को आधा लीटर के नाप से हीला मिला कर एक रूप कर 2 लीटर दूध एक साफ सुखे एवं खाली स्टील की भगोनी में नमूना वास्ते जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 80 रु. नकद देकर रसीद प्राप्त की ।

उक्त खरीद शुदा दूध को 4 खाली जार में बराबर— बराबर डालने के पश्चात प्रत्येक में 40—40 बुंदे फार्मलीन की डालकर एयर टाईट सीलबन्द कर व लेबल पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई—858 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कराते हुए चिपकाने सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद प्रत्येक जार को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को गोद से चिपकाया गया । तत्पश्चात डी0ओ0 प्रतापगढ़ के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक वाई—858 गोंद से गोलाई में चिपकाई ,धागे से बांध कर सिल चपड़ी से सीलबन्द मोहर किया गया । चारो नमूना जारों पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई—858 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये , विक्रेता ने पेपर स्लिप व खाकी कागज क्रॉस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये । नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया । मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द बनाई गई जिसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर,सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया ,जिन्होंने पढ़,सुन समझकर कर अपने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना सिल किया था जिसका निशान मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द पर अंकित किया । उक्त समस्त कार्यवाही गवाहान की उपस्थिति में की गई ।

कार्यालय में पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 24.04.2017 को देकर रसीद प्राप्त की । 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 24.04.2017 को जमा करा कर रसीद प्राप्त की । शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की

प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं० 6 की पुस्त पर है। शेष चौथा नमूना मय फार्म नं० 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर दिनांक 22.04.2017 को जमा कराई, प्राप्ति रसीद फार्म नं० 6 की पुस्त पर है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेशन पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया मिश्रित दूध का नमूना सब स्टैण्डर्ड पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया।



अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री पेमाराम उर्फ प्रेमचंद पटेल को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया।

अप्रार्थी अभियुक्त बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतः उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।


परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. 184/Act/2017/191 दिनांक 11.05.2017 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त की संस्थान से लिया गया मिश्रित दूध का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है, जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) व 2(V)के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 64 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है, परन्तु अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) व 2(V)का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 64 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री पेमाराम उर्फ प्रेमचंद पटेल पिता नगजी पटेल मेसर्स भवानी दूध डेयरी, सीनियर हायर सेकेण्डरी स्कूल के पास पारसोला तहसील धरियावद पर पूर्व में दायी शास्ति की दो गुना शास्ति अर्थात् 10000/- रु

(अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है एवं अप्रार्थी श्री पेमाराम उर्फ प्रेमचंद पटेल को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने पर उसका खाद्य अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 25.10.2017 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया।



  
(हेमेन्द्र नागर)


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2017/233-35

दिनांक 25.10.2017

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री पेमाराम उर्फ प्रेमचंद पटेल पुत्र श्री नगजी पटेल मेसर्स भवानी दूध डेयरी, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के पास पारसोला तहसील धरियावद

  
(हेमेन्द्र नागर)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़